P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4* July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

महिला सशक्तिकरण : मुद्दे एवं चुनौतियां–जनपद मेरठ का एक भौगोलिक अध्ययन

धनबीर सिंह
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
दिगम्बर जैन कॉलिज,
बड़ौत, बागपत (उ०प्र०)

सारांश

महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय का सबसे चर्चित विकासात्मक कार्य है। इसके माध्यम से न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों का अन्त हो रहा है, बल्कि महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास तीव्र गति से हो रहा है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं विकसित की है। इसी के साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण भी किया है। महिलाओं के साथ तीव्र गति से बढ़ते अपराध को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य सरकार ने किया है। यद्यपि सरकार ने महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर उच्च करने हेतु शिक्षा को सर्वोपरि वरीयता प्रदान की है, परन्तु एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी शिक्षा से वंचित रह रहा है। शिक्षा के अभाव में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जानकारी न हो पाने के कारण वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करती है। महिला सशक्तिकरण वास्तव में महिलाओं की योग्यता को निखारकर उन्हें एक उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करना है। लिंग–भेद जैसी समस्या को समाप्त करके प्रत्येक प्रकार की सेवा में महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा वरीयता प्रदान करके महिलाओं का सर्वांगीण विकास किया जाना संभव है। प्रस्तुत शोध पत्र में वर्तमान में महिलाओं के सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं की स्थिति जानने तथा उनके निवारण हेतु उपायों को बताने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, विकास, अपराध।

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास से है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर को उच्च बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने नई–नई नीतियां तथा कार्यक्रम विकसित किये हैं। इसी के साथ न्यायपालिका भी महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। वास्तव में महिला सशक्तिकरण हेतु तैयार की गयी नीति सराहनीय है, परन्तु धरातल पर अभी भी महिलाओं के विकास हेतु उनको पूर्ण रूप से अमलीय जामा नहीं पहनाया जा सका है। लिंग–भेद, बलात्कार, यौन–उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, अपहरण, दहेज–हत्या, महिला तश्करी तथा छेड़–छाड़ इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं, जिन्होंने समाज में एक विकराल रूप धारण कर रखा है।

अपनी निजी स्वतन्त्रता और स्वयं के निर्णय लेने के लिये महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। परिवार और समाज की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए अपने विचार, अधिकार, स्वतन्त्रता तथा निर्णय लेते हुए अपने आप को परिपक्व बनाना महिला सशक्तिकरण का प्रमुख लक्ष्य है। समाज में सभी क्षेत्रों में पुरुषों व महिलाओं को दोनों को बराबरी पर लाना होगा। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिये महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। महिलाओं को स्वच्छ और उपर्युक्त पर्यावरण की जरूरत है, जिससे कि वह हर क्षेत्र में स्वयं का फैसला ले सके। विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिये भारतीय सरकार के द्वारा कई योजनाओं को निरूपित किया गया है। भारत देश में आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसलिये देश को पूरी तरह से शक्तिशाली बनाने के लिये महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। उनके उचित वृद्धि और विकास के हर क्षेत्र में स्वतन्त्र होने के उनके अधिकार को समझाना महिलाओं को अधिकार देना है।

8 मार्च को सम्पूर्ण विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता,जब तक उसकी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने महिला दिवस पर कहा था कि– "देश की तरक्की के लिये पहले हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा।" एक बार जब महिला अपना कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। भारत के संविधान में लिये गये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है, लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से सम्पूर्ण भारत में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। भारतीय समाज सुधारकों आचार्य बिनोवाभावे, ईश्वरचन्द विद्या सागर, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले आदि ने महिला उत्थान के लिये अपनी आवाज उठाई और कड़ा संघर्ष किया। भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिये ईश्वरचन्द विद्या सागर ने अपने लगातार प्रयास से विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1856 की शुरुआत करवाई। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिये लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है।

साहित्यावलोकन

महिला सशक्तिकरण पर विभिन्न विद्वानों ने शोध कार्य किया है। इनमें स्वदेशी तथा विदेशों दोनों विद्वान सम्मिलित है। समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा भूगोल वेत्ताओं ने महिला सशक्तिकरण पर विभिन्न शोध कार्य किये हैं, जिनके शोध कार्य को कालक्रमानुसार निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया गया है–

भाटिया (1975)[1] ने 'औद्योगिक उद्यमिता–उत्पत्ति एवं समस्याओं' पर शोध कार्य किया। राव (1983)[2] ने 'विकासशील समाज में महिलाएं' नामक शीर्षक पर शोध कार्य किया। अल्फोंसा (1984)[3] ने 'केरल में शैक्षिक बेरोजगारी' नामक शीर्षक पर शोध कार्य किया। रानी (1986)[4] ने 'महिला उद्यमिता की आवश्यकता' पर अध्ययन किया। चन्द्रा (1991)[5] ने 'भारत में महिला उद्यमिता का विकास' नामक शीर्षक पर शोध कार्य किया। सारंगधरण (1995)[6] ने 'महिला उद्यमिता–संस्थागत सहयोग एवं समस्याऐं' नामक शीर्षक पर शोध कार्य किया। जयंथी (1999)[7] ने 'महिला उद्यमिता एवं सूक्ष्म वित्त' पर लेख प्रस्तुत किया। शक्ति (2003)[8] 'सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा हेतु महिला संगठन' नामक शीर्षक पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। भौमिक (2005)[9] ने 'त्रिपुरा में आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण का स्तर' नामक शीर्षक पर शोध कार्य किया। चौधरी (2005)[10] ने 'लिज्जत एवं महिला सशक्तिकरण' नामक शीर्षक पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। मोनिका (2007)[11] ने 'हरियाणा राज्य में महिलाओं के आर्थिक विकास में सूक्ष्म वित्त की भूमिका' नामक शीर्षक पर शोध कार्य किया। अहमद (2008)[12] ने 'लिंग असमानता एवं महिला सशक्तिकरण–एक पुर्नसमीक्षा' नामक शीर्षक पर शोध कार्य किया। अहमद (2008)[13] ने 'रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण' नामक शीर्षक पर अध्ययन प्रस्तुत किया। अख्तर (2008)[14] ने 'भारत में महिला सशक्तिकरण–मुद्दे तथा चुनौतियां' नामक विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। क्रिस्टाबेल (2009)[15] ने 'क्षमतानुरूप महिला सशक्तिकरण में सूक्ष्म वित्त की भूमिका' नामक शीर्षक पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। चौधरी (2011)[16] ने 'सूक्ष्म वित्त गरीबों की पहुंच में' नामक विषय पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। यूनिस (2011)[17] ने ग्रामीण भारत में महिला उद्यमिता–चुनौतियां एवं अवसर नामक शीर्षक पर शोध कार्य किया। शर्मा (2016)[18] ने 'शिक्षा में प्रौद्योगिकी' विषय पर लेख प्रस्तुत किया। विमला (2016)[19] ने योजना पत्रिका में 'महिला एवं बालिका शिक्षा' पर एक लेख प्रस्तुत किया। यादव (2016)[20] ने 'भारत में शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण' नामक शीर्षक से एक लेख प्रस्तुत किया। त्रिपाठी (2017)[21] ने 'शिक्षण सेवाएं एवं साक्षरता का स्तर' नामक विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को जानना।
2. महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना।
3. महिलाओं की समस्याओं के प्रकार, स्तर तथा प्रतिरूप को जानना।
4. सरकार द्वारा महिला शक्तिकरण हेतु चलायी गयी योजनाओं का अध्ययन करना।

आंकड़ों का संग्रह एवं विधि तन्त्र

प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े अध्ययन क्षेत्र से सर्वे करके प्राप्त किये गये हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े सम्बन्धित विभागों व कार्यालयों से प्राप्त किये गये हैं। प्रस्तुत अध्ययन से उपयुक्त परिणाम प्राप्त करने हेतु विभिन्न सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

शोध परिकल्पनाएं

प्रस्तुत शोध पत्र को पूर्ण करने हेतु निम्न शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है–

1. ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरीय क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का स्तर उच्च है।
2. महिला साक्षरता में हुई वृद्धि महिला सशक्तिकरण का प्रमुख कारण है।
3. प्राकृतिक कारक महिला सशक्तिकरण पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं।
4. शिक्षा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आधार है।

अध्ययन क्षेत्र

मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक विकसित जिला है, जो गंगा–यमुना दोआब के मध्य स्थित है। जनपद मेरठ का भौगोलिक क्षेत्रफल 2590 वर्ग किमी० है। इसका अक्षांशीय विस्तार 28º51' उत्तरी अक्षांश से 29º02' उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा देशान्तरीय विस्तार 77º40' पूर्वी देशान्तर से 77º45' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। इसकी उत्तरी सीमा पर मुजफ्फरनगर, उत्तर–पश्चिम में शामली, पश्चिमी सीमा पर बागपत, दक्षिणी सीमा पर गाजियाबाद, उत्तर–पूर्वी सीमा पर बिजनौर तथा अमरोहा जनपद अवस्थित है। गंगा नदी जनपद मेरठ की पूर्वी

सीमा पर प्राकृतिक सीमा तथा हिण्डन नदी पश्चिमी सीमा पर प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्माण करती है। इस जनपद में तीन तहसीलें (सरधना, मेरठ, मवाना) तथा 12 विकास खण्ड, 92 न्याय पंचायत तथा 667 गांव सम्मिलित हैं। वर्ष 2011 के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 34.43 लाख, जनसंख्या घनत्व 1330 व्यक्ति/वर्ग किमी०, लिंगानुपात 872 तथा साक्षरता 72.84% है।

महिलाओं के प्रति अपराध

महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराध दिन–प्रतिदिन पैर पसार रहे हैं। विभिन्न प्रकार के बढ़ते अपराधों ने महिलाओं के विकास में अवरोध उत्पन्न कर दिया है। शिक्षा के स्तर में वृद्धि के बावजूद भी अपराधों की संख्या में कमी नहीं हो पा रही है। अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में महिलाओं के प्रति अपराधों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–1

जनपद मेरठ में महिलाओं के प्रति अपराधों का विवरण (वर्ष 2001–2017)

क्र० सं०	अपराध का प्रकार	वर्ष				परिवर्तन (2001–2017)
		2001	2006	2011	2017	
1.	बलात्कार	28	37	79	49	21
2.	अपहरण	160	108	235	139	–21
3.	दहेज हत्या	275	185	189	219	–56
4.	घरेलू हिंसा	210	86	323	245	30
5.	छेड़छाड़	185	168	207	196	11

स्रोत– जिला अपराध सांख्यिकी पत्रिका जनपद मेरठ, वर्ष (2001–2017)

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में वर्ष 2001 में महिलाओं के प्रति अपराधों के कुल 858 मुकदमें पंजीकृत किये गये जिनमें बलात्कार 3.26% अपहरण 18.65%, दहेज हत्या 32.05% घरेलू हिंसा 24.48% तथा छेड़छाड़ के 21.56% मुकदमें सम्मिलित थे। वर्ष 2017 में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 848 मुकदमें पंजीकृत किये गये, जिनमें बलात्कार के 5.78%, अपहरण के 16.39%, दहेज हत्या के 25.83%, घरेलू हिंसा के 28.89% तथा छेड़छाड़ के 23.11% मुकदमें दर्ज किये गये। अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में वर्ष 2001–2017 की अवधि में बलात्कार के अपराधों में 75% की वृद्धि हुई है। अपहरण के अपराधों में 13.13% की कमी अंकित की गयी है। दहेज हत्या में 20.36% की कमी दर्ज की गयी है। घरेलू हिंसा की घटनाओं में 14. 28% की वृद्धि तथा छेड़छाड़ की घटनाओं में 5. 95% की वृद्धि हुई है।

महिला शिक्षण संस्थाओं का अभाव

शिक्षण संस्थाऐं साक्षरता वृद्धि में अहम भूमिका निभाती है। शिक्षण संसाधनों की उच्च उपलब्धता उच्च साक्षरता का सूचक है, इसके विपरीत शिक्षण संसाधनों का अभाव निम्न साक्षरता को व्यक्त करता है। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण एवं नगरीय दोनों स्तर पर महिला शिक्षण संसाधनों का अभाव है, जो महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है। अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में महिला शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–2

जनपद मेरठ में महिला शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता (प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर) वर्ष 2017

क्र०सं०	शिक्षण संसाधन	इकाईयां	उपलब्धता
1.	प्राथमिक विद्यालय	0	0
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	693	0.43
3.	माध्यमिक विद्यालय	87	0.05
4.	स्नातक महाविद्यालय	1	0.001
5.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	4	0.002
6.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	1	0.001

स्रोत– जिला अर्थ एवं सांख्यिकी पत्रिका जनपद मेरठ, वर्ष 2017

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये एक भी शिक्षण संस्था उपलब्ध नहीं है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता 0.43, माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता 0.05, स्नातक महाविद्यालय की उपलब्धता 0. 001, स्नातकोत्तर महाविद्यालय की उपलब्धता 0.002 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की उपलब्धता 0.001 प्रति हजार महिला जनसंख्या पर है। महिला शिक्षण संसाधनों की न्यूनतम उपलब्धता महिला विकास में अवरोध है, जिसके परिणाम–स्वरूप महिला सशक्तिकरण का स्तर निम्न है।

निम्न साक्षरता

साक्षरता को सामाजिक एवं आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। जिस वर्ग की साक्षरता का स्तर निम्न है, उस वर्ग का सामाजिक एवं आर्थिक विकास का स्तर भी निम्न रहता है। महिला साक्षरता में यद्यपि वृद्धि हुई है, परन्तु उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाई है, जिस अनुपात में अपेक्षित थी। अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में महिला साक्षरता को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–3

जनपद मेरठ में महिला साक्षरता (प्रतिशत में), वर्ष 2017

क्र० सं०	विकास खण्ड	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता	पुरुष व महिला साक्षरता में अन्तर
1.	सरूरपुर खुर्द	63.38	73.05	52.51	20.54
2.	सरधना	72.0	81.75	61.21	20.54
3.	दौराला	72.94	83.03	61.58	21.45
4.	मवाना कलां	74.44	84.96	62.43	22.53
5.	हस्तिनापुर	71.65	82.44	59.32	23.12
6.	परीक्षितगढ़	67.99	78.57	56.0	22.57
7.	माछरा	68.95	78.90	57.86	21.04
8.	रोहटा	75.84	85.83	64.40	21.43
9.	जॉनी खुर्द	73.62	83.72	62.12	21.60
10.	मेरठ	69.25	78.40	58.82	19.58
11.	रजपुरा	72.15	82.05	61.20	20.85
12.	खरखौदा	67.60	77.35	56.64	20.71
योग ग्रामीण		**70.75**	**80.81**	**59.41**	**21.40**
योग नगरीय		**74.79**	**80.68**	**68.21**	**12.47**
योग जनपद		**72.84**	**80.74**	**63.98**	**16.76**

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका जनपद मेरठ, वर्ष 2017

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में महिला साक्षरता 63.98% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 59.41% तथा नगरीय क्षेत्र में 68.21% है। महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता से 16.76% कम है। निम्न साक्षरता महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधक है। क्योंकि शिक्षा ही रोजगार के द्वार खोलकर बेरोजगारी को कम करती है।

निम्न लिंगानुपात

अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में लिंगानुपात वर्ष 2017 के अनुसार 886/1000 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 882/1000 तथा नगरीय क्षेत्र में 890/1000 है। लिंगानुपात कम होने के कारण भी महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता है। यद्यपि 1991 के पश्चात् लिंगानुपात में सुधार हुआ है। वर्ष 1991 में यहां पर लिंगानुपात 858/1000 था, जो वर्ष 2017 में बढ़कर 886/1000 हो गया है। अध्ययन क्षेत्र के लिंगानुपात को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–4

जनपद मेरठ में लिंगानुपात की स्थिति (वर्ष 2017)

(प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)

क्र०सं०	विकास खण्ड	लिंगानुपात	लिंग अन्तराल
1.	सरूरपुर खुर्द	883	117
2.	सरधना	893	107
3.	दौराला	881	119
4.	मवाना कलां	868	132
5.	हस्तिनापुर	873	127
6.	परीक्षितगढ़	881	119
7.	माछरा	895	105
8.	रोहटा	865	135
9.	जॉनी खुर्द	873	127
10.	मेरठ	872	128
11.	रजपुरा	898	112
12.	खरखौदा	891	109
योग ग्रामीण		**882**	**118**
योग नगरीय		**890**	**110**
योग जनपद		**886**	**114**

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका जनपद मेरठ, वर्ष 2017

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में वर्ष 2017 के अनुसार लैंगिग अन्तराल 114 है, जिसमें सर्वाधिक 135 विकास खण्ड रोहटा तथा सबसे कम 105 विकास खण्ड माछरा में है। लिंग अन्तराल में वृद्धि होना महिलाओं के प्रति भेदभाव अर्थात् पुरुष वर्ग को वरीयता प्रदान करता है।

बेरोजगारी

बेरोजगारी से तात्पर्य उस स्थिति से है, जब एक व्यस्क व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु न्यूनतम दर पर भी एक वित्तीय वर्ष में 180 दिन भी रोजगार नहीं मिल पाता है। अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या युवा वर्ग के सामने खड़ी हुई है। अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में बेरोजगारी की स्थिति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी–5

जनपद मेरठ में बेरोजगारी की स्थिति, (प्रतिशत में), वर्ष 2017

क्र०सं०	क्षेत्र	कुल	पुरुष	महिला
1.	ग्रामीण	27.44	23.78	32.64
2.	नगरीय	19.62	18.52	26.76
3.	जनपद	23.53	21.15	29.70

स्रोत– शोधार्थी द्वारा किये गये सर्वेक्षित आंकड़ों की गणना पर आधारित।

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में कुल बेरोजगारी 23.53% है, जिसमें ग्रामीण बेरोजगारी 27.44% तथा नगरीय बेरोजगारी 19. 62% है। ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र की तुलना में 7. 82% बेरोजगारी अधिक है। पुरुष बेरोजगारी 21.15% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 23.78% तथा नगरीय क्षेत्र में 18. 52% है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष बेरोजगारी नगरीय क्षेत्र की तुलना में 5.26% अधिक है। महिला बेरोजगारी 29.70% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 32.64% तथा नगरीय क्षेत्र में 26.76% महिला बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में महिला बेरोजगारी 5.88% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक होने का कारण लघु व कुटीर उद्योग–धन्धों का अभाव तथा कृषि आधारित उद्योग–धन्धों का कच्चा माल (कृषि उत्पाद) समाप्त हो जाना है।

उच्च मातृत्व मृत्यु दर

अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में मातृत्व मृत्यु दर उच्च है, जिसका कारण महिलाओं व बच्चों को उच्च चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव है। गरीबी के कारण अधिकांश गर्भवती महिलाएं चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाती है, जिसके कारण वह घर पर ही बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो जाती है और इस दौरान अधिकांश महिलाएं मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। अध्ययन क्षेत्र में मातृत्व मृत्यु दर को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–6

जनपद मेरठ में मातृत्व मृत्यु दर (प्रति हजार महिलाओं पर), वर्ष 2017

क्र०सं०	क्षेत्र	मातृत्व मृत्यु दर
1.	ग्रामीण	27
2.	नगरीय	18
योग जनपद		**23**

स्रोत– शोधार्थी द्वारा किये गये सर्वेक्षण पर आधारित, वर्ष 2017

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद मरेठ में मातृत्व मृत्युदर प्रति हजार महिलाओं पर 23 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 27 तथा नगरीय क्षेत्र में 18 हैं। नगरीय क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में मातृत्व मृत्यु दर 9/1000 अधिक है, जिसका कारण चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव व गरीबी है।

स्वास्थ्य सुविधाएं

स्वास्थ्य सुविधाऐं मानव को निरोगी रखकर उसकी आयु को बढ़ाती हैं तथा विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन को सुखमय बनाती हैं। महिलाओं के लिये उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–7

जनपद मेरठ में महिला स्वास्थ्य सुविधाएं, वर्ष 2017

क्र० सं०	विकास खण्ड	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	प्रति हजार महिलाओं पर उपलब्धता	परिवार एवं कल्याण उपकेन्द्र	प्रति हजार महिला जनसंख्या पर उपलब्धता
1.	सरूरपुर खुर्द	2	0.03	14	0.18
2.	सरधना	2	0.03	26	0.37
3.	दौराला	2	0.03	29	0.44
4.	मवाना कलां	3	0.05	26	0.41
5.	हस्तिनापुर	3	0.05	28	0.50
6.	परीक्षितगढ़	2	0.02	26	0.32
7.	माछरा	3	0.04	21	0.28
8.	रोहटा	2	0.04	25	0.46
9.	जॉनी खुर्द	2	0.03	26	0.36
10.	मेरठ	2	0.07	25	0.85
11.	रजपुरा	2	0.02	29	0.50
12.	खरखौदा	2	0.03	24	0.42
योग ग्रामीण		**27**	**0.03**	**299**	**0.38**
योग नगरीय		**25**	**0.03**	**0**	**0**
योग जनपद		**52**	**0.03**	**299**	**0.18**

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका जनपद मेरठ, वर्ष 2017

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में महिला स्वास्थ्य सुविधाएं प्रति हजार महिलाओं पर 0.03 है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण महिलाओं को इलाज की सुविधा आसानी से नहीं प्राप्त हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप महिला मृत्यु दर अधिक है।

गरीबी

गरीबी से तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा परिवारों से है, जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ है। गरीबी भी महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक बनी हुई है। अधिकांश महिलाएं न्यूनतम दर पर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण–पोषण करने को मजबूर है। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये महिलाएं भी घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं।

अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में गरीबी की स्थिति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–8
जनपद मेरठ में गरीबी की स्थिति (प्रतिशत में), वर्ष 2018

क्र०सं०	विकास खण्ड	गरीबी की दर
1.	सरूरपुर खुर्द	21.36
2.	सरधना	18.44
3.	दौराला	22.57
4.	मवाना कलां	20.85
5.	हस्तिनापुर	26.62
6.	परीक्षितगढ़	24.68
7.	माछरा	19.86
8.	रोहटा	22.92
9.	जॉनी खुर्द	20.67
10.	मेरठ	17.45
11.	रजपुरा	18.20
12.	खरखौदा	20.25
योग ग्रामीण		**21.16**
योग नगरीय		**17.36**
योग जनपद		**19.24**

स्रोत– शोधार्थी द्वारा किये गये सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में गरीबी की दर 19.24% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 21.16% तथा नगरीय क्षेत्र में 17.36% परिवार गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन–यापन कर रहे हैं। सर्वाधिक गरीबी 26.62% विकास खण्ड हस्तिनापुर जबकि सबसे कम 17.45% मेरठ विकास खण्ड में हैं। हस्तिनापुर विकास खण्ड में गरीबी अधिक होने का प्रमुख कारण रोजगार के साधनों का अभाव है।

महिला सशक्तिकरण में बाधाएं

महिला सशक्तिकरण के लिये सबसे पहले स्वयं महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। यद्यपि महिला सशक्तिकरण की राह आसान नहीं है, फिर भी महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा। महिला सशक्तिकरण में आने वाली प्रमुध बाधाएं हैं– लैंगिक भेदभाव, शिक्षा का अभाव, उच्च महिला मृत्यु दर, वित्तीय समस्या, पारिवारिक जिम्मेदारी, निम्न गम्यता, जोखिम उठाने की निम्न योग्यता, उपलब्धि की निम्न आवश्यकता, उपलब्धि हेतु जिज्ञासा का अभाव, सामाजिक स्तर, दहेज, बाल–विवाह तथा महिला अपराध आदि।

महिला कार्य प्रतिरूप

अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ की महिलाओं के कार्य प्रतिरूप का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यहां पर 57.8% महिलाएं प्राथमिक क्रिया–कलापों, 15.76% महिलाऐं द्वितीयक क्रिया–कलापों तथा 26.44% महिलाएं तृतीयक क्रिया–कलापों में संलग्न हैं। यहां पर कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित क्रिया–कलापों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है।

सारणी–9
जनपद मेरठ में महिला कार्य प्रतिरूप (प्रतिशत में), वर्ष 2018

क्र०सं०	क्रिया–कलाप	ग्रामीण	नगरीय	योग जनपद
1.	प्राथमिक	67.26	22.62	57.80
2.	द्वितीयक	11.72	30.85	15.76
3.	तृतीयक	21.02	46.53	26.44
योग		**100.00**	**100.00**	**100.00**

स्रोत– शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित आंकड़ों की गणना पर आधारित।

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में महिला कार्य प्रतिरूप को दर्शाया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 67.26% महिलाएं प्राथमिक क्रिया–कलापों, 11.72% महिलाएं द्वितीयक क्रिया–कलापों तथा 21.02% महिलाएं तृतीयक क्रिया–कलापों में संलग्न हैं। नगरीय क्षेत्र में 22.62% महिलाएं प्राथमिक क्रिया–कलाप, 30.85% महिलाएं द्वितीयक क्रिया–कलापों तथा 46.53% महिलाएं तृतीयक क्रिया–कलापों में संलग्न हैं।

निष्कर्ष

देश के सतत् एवं सन्तुलित विकास के लिये महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। समानता का सांवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास का स्तर उस अनुपात में उच्च नहीं हो पाया है, जिस अनुपात में आवश्यकता है। यद्यपि विधिक कानूनों के विकसित होने से महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आयी है, परन्तु उस अनुपात में अपराधों पर नियंत्रण नहीं लग पाया है, जिस अनुपात में विदेशों में नियन्त्रण है। अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में महिलाओं के प्रति अपराधों में बलात्कार 49, अपहरण 139, दहेज हत्या 219, घरेलू हिंसा 245 तथा छेड़छाड़ की 196 घटनाऐं वर्ष 2017 में दर्ज की गयी थी। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु शिक्षा सर्वोत्तम आधार है। यहां पर महिला साक्षरता 63.98% है, जो पुरुष साक्षरता से 16.76% कम है। महिला शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता अति न्यून है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय 0, उच्च प्राथमिक विद्यालय 0.43, माध्यमिक विद्यालय 0.05, स्नातक महाविद्यालय 0.001, स्नातकोत्तर महाविद्यालय 0. 002 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की उपलब्धता 0. 001 प्रति हजार महिला जनसंख्या पर है। लैंगिक असमानता अर्थात् लैंगिक अन्तराल जनपद मेरठ में प्रति हजार पुरुषों पर 114 कम है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर 118 तथा नगरीय स्तर पर 110 कम है। लैंगिक अन्तराल अधिक होने से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है, परन्तु यहां पर बेरोजगारी के कारण

महिलाएं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। महिला बेरोजगारी 29.70% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 32.64% तथा नगरीय क्षेत्र में 26.76% है। चिकित्सकीय अभाव के कारण अध्ययन क्षेत्र में मातृत्व मृत्युदर 23/1000 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 27 तथा नगरीय क्षेत्र में 18/1000 है। गरीबी महिला सशक्तिकरण में बाधा बनी हुई है। यहां पर गरीबी की दर 19.24% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 21. 16% तथा नगरीय क्षेत्र में 17.36% है। कार्य प्रतिरूप भी महिला सशक्तिकरण में बाधक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 67.26% महिलाएं प्राथमिक क्रिया–कलापों, 11.72% महिलाएं द्वितीयक तथा 21.02% महिलाऐं तृतीयक क्षेत्र में कार्य करती हैं। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विकसित होने में निम्न साक्षरता, बेरोजगारी, गरीबी, उच्च मातृत्व मृत्यु दर, लैंगिक असमानता, महिलाओं के प्रति अपराध, जन जागरूकता का अभाव, घरेलू कार्य की जिम्मेदारी, जोखिमों का कम उठाना, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव इत्यादि ऐसे कारक हैं, जो महिला सशक्तिकरण में बाधक बने हुए हैं।

सुझाव

महिला सशक्तिकरण हेतु निम्न उपाय किये जा सकते हैं–

1. महिलाओं के प्रति अपराधों पर नियंत्रण
2. न्याय की तीव्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया
3. गरीबी एवं बेरोजगारी पर नियंत्रण
4. स्वयं सहायता समूहों का विकास
5. मातृत्व मृत्यु दर पर नियंत्रण
6. महिला उच्च शिक्षण संस्थाओं का विकास
7. महिला चिकित्सालयों का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में विकास
8. रोजगार परक शिक्षा को वरीयता
9. महिला उद्यमों के विकास हेतु रियायती दर पर वित्त की सुविधा
10. महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु विकसित कानूनों को अमल में लाना
11. निर्णय लेने एवं जोखिम उठाने हेतु महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत करना
12. विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को वरीयता

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *B.S. Bhatiya (1975)- "Industrial Entrepreneurs : Their Origin and Problems", Journal of General Management, Vol II, Jan. 1975, p. 33.*
2. *Usha Rao, N.J. (1983)- "Women in a Developing Society", Ashish Publication, New Delhi, p. 180.*
3. *Alphonsa, M.J. (1984)- "Educated Unemployment in Kerala", An unpublished Ph.D. Thesis, Department of Economics.*
4. *Rani, C. (1986)- "Potential Women Entrepreneurs – A Study", SEDME 13 (3), p. 13-32.*
5. *Chandra, Shanti Kohli (1991)- "Development of Women Entrepreneurship in India", Mittal Publication, New Delhi, p. 70.*
6. *Sarangadharan M. and Razia Begam (1995)- "Women Entrepreneurship : Institutional Support and Problems", New Delhi, Discovery Publishing House, p. 15.*
7. *Jeyanthi (1991)- "Women Entrepreneurs and Micro Credit - Kurukshetra", March 1999.*
8. *Sakti Das Gupta (2003)- "Women Organizing for Socio-Economic Security", The Indian Journal of Labour Economic, Vol. 46, No. 1, 2003.*
9. *Bhowmik, Krishnanath (2005)- "Status of Empowerment of Tribal Womeni n Tripura", New Delhi, Eastern Book Corporation, p. 217.*
10. *Chaudhari, Rajender (2005)- "Lijjat and Women's Empowerment – Beyond the Obvious", Economic and Political Weekly 40(6) p. 579-583.*
11. *Monika, Tushir and Sumita Chadda (2007)- "Role of Micro Finance to Uplift the Economic Condition of Women Households in Haryana Through SHG", Published in Southern Economist, Vol. 46, No. 7, August, 2007, p. 29.*
12. *Ahmad, Jamil (2008)- "Gender Inequality and Women Empowerment – A Review", In New Dimensions of Women Empowerment Chapter 10, p. 129-137, Deep and Deep Publication, New Delhi.*
13. *Ahmad, Sayed Noman (2008)- "Empowerment of Women Through Employment – An Overview", In New Dimensions of Women Empowerment, Chapter 19, p. 282-290, Deep and Deep Publication, New Delhi.*
14. *Akhtar, S.M. Jawed (2006)- "Empowerment of Women in India : Issues and Challenges", In New Dimensions of Women Empowerment, Chapter 8, p. 96-113, New Delhi, Deep and Deep Publications.*
15. *Christabell, P.J. (2009)- "Women Empowerment Through Capacity Building : The Role of Microfinance", Concept Publishing Company, New Delhi.*
16. *Chaudhary, Suman Kalyan (2011)- "Microfinance Reaching the Poor", In Self help groups and Micro-Credit Institutions, Discovery Publishing House, New Delhi.*
17. *Ewnice, B. Lilly Grace (2011)- "Women Entrepreneurs in Rural India – Challenges and Opportunities", Women Empowerment Through Self-Help Groups and Microfinance, Chapter 8, The Associated Publishers.*
18. *Chadda, A. (2016)- "An Outline of Sustainable Education in India" Yojana Magazine, January 2016.*
19. *Ramchandran, V. (2016)- "Women and Child Education : Indian Overview", Yojana Magazine, January 2016.*
20. *Tripathi, A. (2017)- "Educational Services and Level of Literacy of Bastinagar", Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika, Vol. 5, No. 2, October 2017.*